

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।
(Swasthya Bhawan Tilak Marg C-Scheme, Jaipur-302005)
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एक्स-29 पार्ट-2 (06924)/2025/91

दिनांक:- 24/02/25

--:आदेश:--

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम-31 के अन्तर्गत निम्नांकित नर्सिंग ऑफिसर जिनकी नियुक्ति निदेशालय के आदेश क्रमांक सीधी भर्ती/2018/309 दिनांक 28.04.2020 के द्वारा प्रथमतः 02 वर्ष के लिए अस्थाई नियुक्ति प्रदान की गई थी को कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित तिथि से नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी, को कॉलम संख्या-8 में उल्लेखित दिनांक से एतद द्वारा स्थाई किया जाता है।

कार्मिक द्वारा 2 वर्ष का परिविक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम-2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1) वित्त / नियम/2027 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्सिंग ऑफिसर के पद की पे-मेट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार भत्ते देय होंगे :-

क. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	काल्पनिक नियुक्ति तिथि	काल्पनिक परिविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	काल्पनिक स्थाईकरण पूर्ण करने की तिथि	वास्तविक कार्यग्रहण तिथि	वास्तविक स्थाईकरण तिथि	वास्तविक वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्रीमती अंकिता स्वामी, नर्सिंग ऑफिसर	एमडीएम जोधपुर	31.8.1991	29.4.2020	23.8.2022	24.8.2022	06.08.2020	30.11.2022	01.12.2022

नोट- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(2) वित्त /नियम/2006 पार्ट-प्रथम दिनांक 25.10.2019 के अनुसरण में कार्मिका का 117 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत करते हुए परिविक्षाकाल में 117 दिवस की अभिवृद्धि की गई है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एक्स-29 पार्ट-2 (06924)/2025/91

दिनांक:- 24/02/25

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 श्रीमान वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय द्वारा प्रदत्त राय के क्रम में।
- 2 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
- 3 अधीक्षक, मथुरादास माथुर, चिकित्सालय, जोधपुर।
- 4 सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
- 5 प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- 6 आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :21-02-2025 07:22:14

E- File/Order 2024-2025

RajKaj Ref No.: 13718651